अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक राजेश कुमार पंडित .... प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम [illegible] राणा .... द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या .... 135 ....सन् 2021

धारा 144 /द०प्र०सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
01/10/21	आवेदक राजेश कुमार पंडित, पे० प्रितम पंडित, ग्रा०- बाघानाला, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह द्वारा दं० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा- [illegible], खाता नं०- 15, प्लाट नं०- 310, रकबा- 0.30 डी० [illegible] उ०- बाबूलाल राणा, पे०- [illegible] पंडित, पु०- हिरामन पंडित, पे०- जैवा पंडित के भूमि विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बिरनी से मांगी। अभिलेख दि० 21/10/21 को रखें। टंकित एवं संशोधित अनु० पदा० बगोदर- सरिया अनु० पदा० बगोदर- सरिया	340/21 01/10/21

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/10/21 30/X/21	अभीलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी सिरसी के पत्रांक 2529/21 दिनांक 22/10/21 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के आवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होनें की आशंका हैं एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द० प्र० सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 18/11/21 को कारण-पृच्छा की मॉग की जाती है कि क्यों नही एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित । अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/11/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। To 2/12/21 18/11	
02/12/21	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख 16/12/21 को पेश हो। अनुपस्थित	
16/12/21	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। S/c दाखिल करें। To 23/12/21 16/12	
23/12/21	प्रथम पक्ष - वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा S/c दाखिल / बहस हेतु दिनांक - 30/12/21 23/12	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30/12/24	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया था। प्रथम पक्ष के अनुसार उनके पिता द्वारा दो अलग-अलग केवाला से प्रश्नगत जमीन को हासिल किया है। खरीदगी के पश्चात् प्रथम पक्ष के पिता के नाम से सिल्ली अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम की गई तथा सरकारी रसीद निर्गत होता रहा है। परन्तु कुछ समय से द्वितीय पक्ष के सदस्यगण जबरन प्रश्नगत जमीन पर दावा कर शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निबंधित केवाला सं०-1967 दिनांक-19/08/13 एवं केवाला सं०-1968 दिनांक 19/08/13 की	

आदेश क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	छाया प्रति, सरकारी लगान रसीद सं0 - 0210929946, सं0 - 022532069, सं0 - 0822716865 एवंम् सं0 - 0312191535 की छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया तथा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। सर्वे खतियानधारक रेवा कुम्हार, हीरो कुम्हार, किशुन कुम्हार (तीन हिस्सा) दीपन कुम्हार (दो हिस्सा) है।. द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने ऊपर से सब वंशावली ~~[illegible]~~ दिया है जिसके अनुसार खतियानी दीपन के वंशज खोरो पंडित के स्वर्गवास के पश्चात उनकी पत्नी मो० कुन्ती द्वारा अपने हिस्से की जमीन भगीरथ पंडित को बिक्री कर देती है। भगीरथ पंडित खरीदगी जमीन को कमली देवी पति लेदखो साव को बिक्री कर देती	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मे॰/ प्रश्नागत भूमि का एक भाग (4डी॰) रेवा कुम्हार ने राजा बाबू अर्जुन राय को इस्तीफा दे दिया। उक्त भूमि को पुनः राजा बाबू अर्जुन राय द्वारा हीरो कुम्हार को वर्ष 1950 में विक्रय कर दिया गया। हीरो कुम्हार के पुत्र भागीरथ कुम्हार ने द्वितीय पक्ष के कमली देवी को बेच दिया। इस प्रकार प्रश्नागत भूमि द्वितीय पक्ष के पास विक्रय पत्र के माध्यम से आ गई। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक- 30.10.2019 एवं विक्रय पत्र दिनांक 28.12.1950 की छाया प्रति दाखिल किया गया। थाना प्रभारी बिरनी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नागत भूमि को द्वितीय पक्ष के द्वारा जोत दिया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष 2009 में जमीन	

टिप्पणी क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	की खरीददारी की गई है, परन्तु जमीन का नामांतरण द्वितीय पक्ष के नाम में नहीं हुआ है। उभय पक्ष के दलीलों एवं दस्तावेजों के विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खतियानी जमीन के हिस्से तथा उसकी बिक्री के कारण यह विवाद है। साथ ही द्वितीय पक्ष के द्वारा जमीन क्रय करने के तीन (लगभग) वर्षों के बाद भी नामांतरण का प्रयास नहीं किया है जो संदेह पैदा करता है। अतः निषेधाज्ञा को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता हूँ तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्देश घोषित करता हूँ। चूँकि यह विवाद जमीन के बंटवारे एवं बिक्री से सम्बन्धित है अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में अपनी बात रखें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। ह०- अनुमण्डल दण्डा०	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.09.02 16:32:35 +05:30
Location: 192.168.1.12